न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 05/2014 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2014/00007

उनवान

1. नत्थीलाल
2. रामकिशन
3. ल्हौरे
4. रामखिलाडी

पुत्रगण गेंदाराम, जाति जाटव निवासी बतीपुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. पिन्दर सिंह
2. हरविन्दर सिंह
3. हरभजन सिंह पुत्र नामालूम
4. कल्लू पुत्र जसमत सिंह
5. सत्यपाल सिंह
6. गोपाल सिंह

पुत्रगण गुरूप्रसाद सिंह

7. जसवीर सिंह
8. अलवाल सिंह

पुत्रगण रामशेर सिंह

9. लाला पुत्र कल्ला
10. माणु पुत्र हरिवेन्द्र सिंह
11. भूरा खॉ पुत्र सकूर खॉ
12. सकूर खॉ पुत्र नामालूम

पुत्रगण अलवारिया जातियान निवासीयान धौराबाग कस्बा बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर।

जाट सिक्ख

जातियान मुसलमान

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी दिनांक 15.10.2014 उनवानी नत्थीलाल बनाम पिन्दर सिंह मु0न0 10/2013

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषक :–

1. वकील अपीलांट श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 06.04.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी के आदेश दिनांक 15.10.2014 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध रैस्पो0/अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी स्थित ग्राम बतीपुरा कस्बा बाडी नं0 02 के अपीलाण्ट/प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हैं एवं मौके पर काबिज होकर शान्ति पूर्वक काश्त कर रहे हैं। वक्त दायरी प्रार्थना से एक सप्ताह पूर्व रैस्पो0/अप्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी पर आये और अपीलाण्ट/प्रार्थीगण को धमकी दी कि विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं करने देंगें एवं उक्त भूमि से नहर/नरूआ निकालेंगें। यदि रैस्पो0/अप्रार्थीगण अपनी उपरोक्त धमकी में कामयाब हो गये तो अपीलाण्ट/प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर दादरसी चाही की रैस्पो0/अप्रार्थीगण को हमेशा के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि विवादित आराजी में अपीलाण्ट/प्रार्थीगण को शान्तिपूर्वक काश्त करने में किसी प्रकार की मजाहमत एवं मदाखलत नहीं करें एवं ना ही नहर/नरूआ का निर्माण करें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज करते हुए, रैस्पो0/अप्रार्थीगण के पक्ष में आदेश पारित किये कि वह अपनी आराजी की सिंचाई के लिए नरूआ में से पक्की नाली अपने खर्चे पर अपीलाण्ट/प्रार्थीगण के खेतो की बगल से बनवाकर नहर का पानी ले जाने के अधिकारी होंगें। जिससे व्यथित होकर यह अपील अपीलाण्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि विवादित खसरा नम्बरान में रैस्पो0, अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप नहीं करें। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर यह आदेश पारित किया कि खसरा नम्बर 5369 व 5370 वाके कस्बा बाडी नं0 02 तहसील बाडी के बगल से होकर सिंचाई के लिए नरूआ में से पक्की नाली अपने खर्चे पर बनवाकर नहर का पानी ले जाने के रैस्पो0 अधिकारी होंगे; उक्त आदेश कानून के खिलाफ पारित किया गया है एवं काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ज्यादा से ज्यादा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर सकती थी; लेकिन बिना काउन्टर क्लेम अथवा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, रैस्पो0 के पक्ष में इस प्रकार का आदेश पारित करने का कोई हक अधीनस्थ न्यायालय को हासिल नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 5369

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

व 5370 के अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार काबिज हैं। रैस्पो0 का उक्त खसरा नम्बरान से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उक्त खसरा नम्बर के मध्य कभी नहर अथवा नरूआ ही अस्तित्व में है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलधीन आदेश में यह अंकित किया गया है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा मौका देखा गया; किन्तु मौके बाबत ना तो कोई लिखित में मौका रिपोर्ट है और ना ही मौका आयुक्त नियुक्त किया गया है एवं ना ही अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया गया है कि नरूआ किन–किन खसरा नम्बरों के बगल में से निकले हैं और नरूआ क्या खातेदारी की भूमि में से निकल हैं अथवा राजकीय भूमि में सें निकले हैं अथवा खातेदारो की भूमि को छोडकर निकाले हैं आदि कही भी स्पष्ट नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0बी0जे0 1998 पेज 111 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए, अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकर फरमाये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिवत व न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप है। रैस्पो0 की भूमि की सिंचाई नहर से ही होती है; नहर को बने हुए करीब 50 वर्षो से अधिक हो चुके हैं। कथित नहर से कई छोटे–छोटे नरूआ भी बने हुये हैं। रैस्पो0 उक्त नरूआ से काफी समय से अपनी भूमि की सिंचाई करते चले आ रहे हैं। किन्तु अपीलांट ने अपनी खातेदारी की भूमि के बगल से निकले नरूआ को बन्द कर दिया है, जिससे रैस्पो0 की भूमि की सिंचाई ना होने के कारण फसल खराब हो रही है। अपीलाण्ट की भूमि की बगल से उक्त नरूआ हमेशा से कायम है। यदि नरूआ बन्द हो गया और रैस्पो0 की भूमि की सिंचाई नहीं हुई, तो रैस्पो0 को अपूर्णनीय क्षति होगी। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच मौके पर जाकर की गयी है एवं तत्पश्चात् अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2066–2069 के खाता संख्या 251 में अंकित विवादित आराजी में अपीलाण्ट बतौर खातेदार काश्तकार अंकित हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में स्वयं मौके पर जाकर जॉच करना व यह पाना अंकित किया है कि नहर काफी पुरानी हैं; नहर से जो माइनर नहरे (नरूआ) निकले हैं, वह भी पुराने ही हैं; नरूआ खेतो की बगल से होकर निकले हैं। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ना तो कथित मौका जॉच का तिथि, समय आदि बताय गय है और ना ही यह बताया है कथित मौका जॉच के समय पक्षकार उपस्थित थे या नहीं एवं कोई मौका रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध नक्शा ट्रेस में भी विवादित आराजी खसरा नम्बर 5369, 5370 के बगल से कोई नहर/नरूआ निकला जाना दर्शित नहीं किया हुआ है। खसरा नम्बर 5369, 5370 की बगल से पानी ले जाने का कोई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथ्य, पत्रावली पर उपलब्ध ही नहीं है। जो तथ्य पत्रावली पर विद्यमान ही नहीं हैं, उन तथ्यों के आधार पर निर्णय आधारित करना उचित नहीं हैं। अपीलाधीन आदेश में यह उल्लेख नहीं है कि खसरा नम्बर 5369 एंव 5370 के बगल में कथित नरूआ का खसरा नम्बर क्या है ? अथवा किस के खाते में है ? इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अस्पष्ट है; जिसे स्थिर किया जाना हम उचित नहीं पाते हैं। इसके अतिरिक्त हम यह भी पाते हैं कि रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई काउन्टर क्लेम अथवा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रस्तुत नहीं किया गया है; बिना काउन्टर क्लेम अथवा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रस्तुत किये, रैस्पो0 कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से रैस्पो0 को अनुतोष प्रदान करने में, विधिक त्रुटि की है। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर0बी0जे0 1998 पेज 111 हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण चस्पा होती है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.10.2014 अपास्त किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 06.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official